दा. प्र. क. 2887/06

न्यायालय :– राकेश कुमार सिंह, अति0मु0न्यायि0मजि0, कटनी

दा. प्र. क. 2887/06

संस्थित दिनांक 25.08.03

म0 प्र0 राज्य
द्वारा आरक्षीकेन्द्र वन विभाग बहोरीबंद
जिला कटनी

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. राजा सिंह पिता रज्जू सिंह उम्र 40 वर्ष
2. सीताराम पिता मंचू गोंड उम्र 28 वर्ष
3. धन्नी पिता सरदार सिंह गोंड उम्र 45 वर्ष
4. अमर सिंह पिता चतुरलाल गोंड उम्र 22 वर्ष
5. माधव सिंह पिता मुकुंदी गोंड उम्र 25 वर्ष
   उपरोक्त सभी निवासी नयागांव थाना बहोरीबंद जिला कटनी
6. रसीदशाह पिता वशीरशाह उम्र 36 वर्ष
   निवासी गौरहा थाना बहोरीबंद जिला कटनी

..... **आरोपीगण**

–: निर्णय ::–

(आज दिनांक 10/04/2015 को घोषित)

1. आरोपीगण राजासिंह और रसीद पर वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 का यह आरोप है कि इन लोगो ने दिनांक 09.01.02 को वन कक्ष क0 पी एस 315 जमुनहा नाला में वन्य प्राणी टाईगर जो अनुसूची 1 का प्राणी है का शिकार किया तथा शिकार मे प्रयुक्त बंदूक कुल्हाडी और चमडा अपने आधिपत्य मे बिना अनुज्ञप्ति के रखे हुए पाए और पकडे गए तथा आरोपीगण सीताराम, माधवसिंह, अमरसिंह और धन्नी पर यह आरोप है कि इन लोगो ने उपरोक्त दोनो आरोपीगणो को शिकार करने मे सहायता पहुंचाई थी।

10.4.15
राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

2. इस प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि प्रकरण के शेष आरोपीगण मुन्ना सिंह दुर्जन पहाडी पुरूषोत्तम जगदीश गुडडा और नन्हे भाई लोधी प्रारंभ से ही प्रकरण मे अनुपस्थित है और उनके विरूद्व स्थाई गिरफतारी वारंट आदेश दि0 25.08.03 के द्वारा जारी किया जा चुका है।

3. संक्षेप मे परिवादी का मामला इस प्रकार है कि घटना दिनांक 09.01.02 को मुखबिर द्वारा वन अधिकारियों को यह सूचना प्राप्त हुआ था कि आरोपी राजा सिंह अपने आंगन में शेर का चमडा रखे हुए है। जिसकी जांच किए जाने पर उसके घर से धान के पैरा के भीतर प्लास्टिक की बोरी मे रखा हुआ शेर का चमडा बरामद हुआ था और पूछताछ करने पर उसने आठ माह पूर्व शेर का शिकार करना बताया। जिसके आधार पर मौका नक्शा निर्मित किया गया। तथा सहयोगीगण से भी पूछताछ गिरफतार करके किए जाने पर उन लोगो ने भी घटना का करना बताया। तब जप्तशुदा चमडे का परीक्षण कराया गया। पटवारी से नक्शा खसरा प्राप्त किया गया। परंतु काफी समय व्यतीत हो जाने के कारण मृत प्राणी के अवशेष बरामद नही हो सके। राजासिंह वन सुरक्षा समिति का अध्यक्ष होने के बाद भी 12 अन्य लोगो के साथ मिलकर अपराध कारित किया है। जिसकी विवेचना पूर्ण करके परिवाद पत्र न्यायालय मे विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

4. दिनांक 02.09.09 को आरोपीगणं रसीद और राजा के विरूद्व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 का और अन्य आरोपीगण के विरूद्व उक्त अधिनियम की धारा 52 का आरोप पत्र विरचित करके पढकर सुनाए और समझाए जाने पर आरोपीगणों ने अपराध का किया जाना अस्वीकार किया। तथा विचारण का दावा किया। विचाराणोपरांत धारा 313 दं0प्र0सं0 के तहत कराए गए अभियुक्त परीक्षण मे आरोपीगणो ने अभियोजन साक्षियो के द्वारा किए गए कथनो मे से कुछ कथनों को गलत होना कहा। तथा कुछ कथनों के बारे में जानकारी का नही होना कहा और स्वंय को निर्दोष बताते हुए इस प्रकरण में झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया।

5. इस प्रकरण के समुचित निराकरण हेतु महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदू निम्नलिखित है:–

1. क्या आरोपीगण राजा और रसीद ने दिनांक 09.01.02 को पनसेहा बीट के कक्ष क0 पी एफ 315 मे संरक्षित वन्य प्राणी टाईगर जो अनुसूची 1 का प्राणी है का शिकार किया था और शिकार मे प्रयुक्त दोनाली बंदूक कुल्हाडी तथा चमडा को अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया और पकडा गया था ?

10.11.15

राकेश कुमार सिंह
अति.मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

2. क्या अन्य आरोपीगण धन्नी, सीताराम, माधवसिंह और अमर सिंह ने आरोपीगण को शिकार करने में सहायता पहुंचाई थी ?

साक्ष्य विवेचन एवं सकारण निष्कर्ष :–

उपरोक्त दोनो विचारणीय बिंदू एक ही दिनांक समय तथा स्थान पर एक ही घटना के दौरान उत्पन्न हुए हैं अतः साक्ष्य की पुरावृत्ति को रोकने के लिए तथा विवेचना की सुविधा की दृष्टि से उन पर एक साथ निष्कर्ष दिए जा रहे हैं।

6. परिवादी पक्ष का यह कथन है कि घटना दिनांक को आरोपीगण राजासिंह और रसीदशाह वन क्षेत्र में अनुसूची 1 में वर्णित संरक्षित वन्य प्राणी टाईगर का शिकार करके उसके चमडे और शिकार मे प्रयुक्त उपकरण का अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया और पकडा गया था और अन्य विचाराधीन आरोपीगण उपरोक्त आरोपीगणों को शिकार करने में सहयोग प्रदान किए थे। इस संबंध में प्रकरण के जांचकर्ता अधिकारी वी पी पांडे प. सा. 1 का यह कहना है कि दिनांक 09.01.02 को बहोरीबंद मे वह परिक्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ था और उसी दिन वन मंडलाधिकारी परिक्षेत्र अधिकारी और अन्य लोगो के साथ ग्राम नया गांव मे आरोपी राजा के घर गया था और वहां उसके नही मिलने पर इमलिया से लाकर उसके मौजूदगी मे उसके आंगन के पैरा की तलासी ली गई थी जहां पर टाईगर का चमडा मिला था जिसका पंचनामा प्र पी 1 बनाई गई थी और जप्ती प्र पी 2 भी बनाई गई थी जिस पर इसने अपना हस्ता0 होना स्वीकारा है। प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी के उपरोक्त कथन केवल इस तथ्य को छोडकर कि धान का पैरा खुले स्थान पर रखी हुई थी जहां कोई भी आ जा सकता है परंतु वहां किसी अन्य व्यक्ति ने टाईगर का चमडा छुपाकर रखा हो ऐसा वन अधिकारियों के समक्ष दिए गए बयान मे आरोपी ने नही बताया है। न्यायालय मे भी ऐसी कोई बात वह नही बताया है। इसी प्रकार मौके पर प्र पी 1 और 2 पर सील नही लगाने और आरोपीगण का बयान मोके पर नही लेने संबंधी विलुप्ति भी महत्पूर्ण विलुप्ति नही है जिससे मामले पर संदेह उत्पन्न किया जा सके।

7. साक्षी जे0 एन0 तिवारी (प सा 2) का कहना है कि 09.01.02 को अपने अधिकारियो के साथ आरोपी राजा के घर गया था और बुलाकर पूछताछ करने पर उसने स्वीकारा था कि नन्हें सिंह लोधी रसीदशाह, मुन्ना सिंह, अमरसिंह धन्नी, जगदीश और अन्य लोगों के साथ कुल 13 लोग मिलकर रसीदशाह की देशी भरमार बंदूक तथा एक बंदूक नन्हें सिंह और एक बंदूक

राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

मुन्ना सिंह लिए था और वे लोग शिकारगाह मे छिपकर बैठे थे जहां पर रसीदशाह और अन्य 4 लोग बैठे थे और टाईगर पर गोली चलाई गई थी जिससे वह गिरा था और मृत हो गया था तथा वही पर मांस के चमडे को निकाल लिया गया था नाखून को मुन्नासिह और अन्य दो लोगो ने बांट लिया था। इसने यह भी कहा कि राजा सिंह के उपरोक्त बयान प्र पी 3 इसने लिखा था जिसके अ से अ भाग पर उसके तथा ब से ब भाग पर राजा सिंह के हस्ता0 हैं। इन्होंने यह भी कहा कि राजा सिंह के उपरोक्त बयान के आधार पर उसके आंगन के घर की तलासी लेने पर धान के पैरा मे एक बोरी मे टाईगर का चमडा पाया गया था जिसे मुरारीलाल गर्ग ने इनके सामने जप्त करके जप्ती प्र पी 2 बनाया था जिस पर भी इन्होंने अपना हस्ता0 स्वीकारा है तथा नजरी नक्शा प्र पी 4 पर भी अपना हस्ता0 होना स्वीकारा है।

8. मुख्य परीक्षण मे ही इन्होंने यह भी कहा कि राजा सिंह के बयान के आधार पर अन्य आरोपीगणो को पकडा गया था तथा आरोपी रसीद के कब्जे से कुल्हाडी बका और भरमार बंदूक की जप्ती हुई थी और अपने बयान मे राजा सिंह नन्हे लोधी और मुन्ना सिंह के द्वारा टाईगर पर गोली चलाना बताया था तथा घटनास्थल दाना बाबा के नाला के पास का होना बताया था जिसके बयान प्र पी 5 इन्होंने लिखे थे जिसके अ से अ भाग पर इन्होने अपना और ब से ब भाग पर रसीद का हस्ता0 होना कहा है और इस हस्ता0 को न तो रसीद ने और न राजा सिंह ने ही अपना होने से इनकार किया है। इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण की कंडिका 4 मे यह भी कहा है कि धन्नी गोंड का बयान प्र पी 6 लिखा गया था उसने भी दाना बाबा के पास शिकार करना कहा था अमर सिंह ने भी अपने प्र पी 7 मे भी उपरोक्त बाते बताई थी। सीताराम ने अपने बयान प्र पी 8 और माधव सिंह ने अपने बयान प्र पी 9 मे भी उपरोक्त प्रकार की बाते बताई है। इन सभी लोगो ने घटनास्थल दाना बाबा के नाला के पास का होना बताया। नक्शा प्र पी 10 पंचनामा प्र प 11 बंदूक और कुल्हाडी की जप्ती प्र पी 17 चमडे का परीक्षण रिपोर्ट प्र पी 18 साक्षीगणो के बयान जप्तशुदा सामग्री की सुपुर्दनामा प्र पी 25 थाना को लिखे गए पत्र प्र पी 26 पर इन्होने अपना हस्ता0 होना कहा है। इस प्रकार इस साक्षी ने जो बयान अपराधीगण के लेखक हैं ने अपने साक्ष्य से इस तथ्य को प्रमाणित किया है कि आरोपीगण उसके समक्ष शेर के शिकार किए जाने और उसमे सहायता किए जाने को स्वीकार किया है। इस संबध में फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विरूद्व अबूबकर 1989 (3) क्राइम्स 756 का अवलोकन किया गया इस न्यायदृष्टांत मे यह कहा गया है कि इकबाली बयान में गवाह के हस्ता0 की आवश्यकता नही है। रेज ऑफिसर के कथन ही पर्याप्त हैं और उसके समक्ष की गई आरोपी के द्वारा स्वीकृति ग्राह्य होती है। उपरोक्त आरोपीगण के कथन इस साक्षी के द्वारा धमकी उत्प्रेरणा या

10.4.15
राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

लालच के अधीन ली गई हो ऐसा बचाव, बचाव पक्ष के द्वारा नही लिया गया है जिससे कि इकबालिया बयान अपराधीगण प्रमाणित होता हुआ प्रतीत होता है।

9. प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी ने यह स्वीकारा कि प्र पी 4 के नक्शा मे उसने आरोपी राजा सिंह के हस्ता0 नही लिए थे। लेकिन नक्शा मे आरोपी के हस्ता0 लेने की कोई बाध्यकारी आवश्यकता विवेचक के लिए होना भी आवश्यक नही हैं प्रतिपरीक्षण मे इन्होने यह भी स्वीकारा कि राजासिंह के द्वारा अपराध करना मुखबिर ने बताया था इसलिए खसरा लेने की जरूरत नही थी। इस साक्षी के प्रतिपरीक्षण मे अन्य कोई विरोधाभाष नही आया है। इसी प्रकार साक्षी मुरारीलाल गर्ग वनपाल (प सा 3) ने अपने मुख्य परीक्षण मे उपरोक्त विवेचक के कथनो का समर्थन करते हुए राजा सिंह के घर के आंगन से प्र पी 2 के द्वारा बाघ के चमडा का जप्त होना कहा है तथा उसे प्रस्तुत किया है जिसे आर्टिकल ए1 से चिन्हित किया गया है। पी ओ आर प्र पी 27 का काटा जाना भी इन्होंने स्वीकारा और यह भी कहा कि उनके सामने राजेन्द्र कर्ण ने आरोपी रसीद से भरमार बंदूक जप्त करके पंचनामा प्र पी 28 बनाए थे और प्र पी 1 का पंचनामा डिप्टी रेंजर तिवारी ने बनाया था इसके भी द से द भाग पर राजा सिंह का हस्ता0 होना इसने स्वीकारा है। प्रतिपरीक्षण मे भी इसने राजा के मकान के बारे मे जानकारी होना और उसी के मकान से चमडा जप्त होना इसने बताया है। केवल रिकार्ड नही देखना कहा है और यह आवश्यक नही है कि आरोपी के गांव के समीप कार्य करने वाले वन पदाधिकारी आरोपी के घर को बिना खसरा देखे पहचान ही नही सकते। सामान्यतः ऐसे लोग ग्रामीणों के घर के बारे मे जानकारी रखते हैं। इसने अपने प्रतिपरीक्षण मे राजा सिंह के द्वारा स्वंय के समक्ष बयान देना कहा है। परंतु बयान पर अपना हस्ता0 नही होना कहा। पुनः कहा कि बयान लिखते समय वह वहां पर नही था। सील के संबंध में भी इसके कथनों मे विरोधाभाष आए है परंतु वे बहुत अधिक महत्व के विरोधाभाष नही है। इस प्रकार उपरोक्त वनपाल के द्वारा भी विवेचक तिवारी और कर्ण के द्वारा किए गए कार्यवाही को पुष्ट किया गया है।

10 साक्षी राजेन्द्र कर्ण (प सा 4) ने अपने साक्ष्य के मुख्य परीक्षण में कंडिका 1 में राजा सिंह से बाघ का चमडा जप्त होने की बात को स्वीकारा है तथा कंडिका 2 मे यह कहा कि 11.01.02 को इन्होने रसीदसाह से पूछताछ की थी और उसने दाना बाबा के नाला के पास टाईगर का शिकार करना बताया था तब उसके कब्जे से दोनाली भरमार बंदूक एक बडी चाकू और एक कुल्हाडी जप्त करके जप्ती प्र पी 29 बनाया था और इन सामग्रियो को प्रस्तुत करके उस पर इन्होंने आर्टिकल ए3 और ए4 और ए5 से चिन्हित कराया था। जप्ती के बाद जप्ती पंचनामा प्र पी 28 बनाया गया और रसीद के कथन डिप्टीरेंजर जितेनद्र

राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

तिवारी ने दर्ज किए थे यह भी इस साक्षी ने स्वीकारते हुए इकबालिया बयान अपराधी रसीद शाह को पुष्ट और प्रमाणित किया है। प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी के उपरोक्त कथन छोटे छोटे विरोधाभाषों को छोडकर अखंडित रहे है। बंदूक का रसीद के घर से जप्त करना प्रतिपरीक्षण मे इसने कई स्थानो पर बताया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी परिवादी के मामले की पुष्टि किया हैं नरेश कुमार गर्ग (प सा 6) वन विभाग का दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी है। इसने भी अपने साक्ष्य के द्वारा आरोपी राजा के कमरे से शेर का चमडा जप्त होना और जप्ती प्र पी 2 और पंचनामा प्र पी 1 पर अपना हस्ता0 होना स्वीकार करके विवेचक द्वारा की गई कार्यवाहियों को पुष्ट किया है तथा इकबालिया बयान आरोपी राजासिंह को भी पुष्ट इसने यह कहते हुए किया है कि डिप्टी रेंजर जे एन तिवारी को राजा सिंह ने बयान दिया था और शिकार करना बताया था। उसने कक्ष क0 315 भी बताया था उक्त बयान पर इसने अपना हस्ता0 होना भी स्वीकारा है रसीदशाह से बंदूक कुल्हाडी की जप्ती को भी इस साक्षी ने पुष्ट करते हुए जप्तीनामा प्र पी 29 पर अपना हस्ता0 होना स्वीकारा है और इकबालिया बयान आरोपी रसीद शाह को भी पुष्ट किया है। इस प्रकार इस साक्षी ने भी परिवादी के मामले का समर्थन किया है। प्रतिपरीक्षण मे इस साक्षी ने कहा कि रसीद के बयान घटनास्थल पर हुए थे फिर कहा कि परिक्षेत्र सहायक के क्वार्टर मे हुआ था मात्र इतने विरोधाभाष से रसीदशाह के संपूर्ण बयान जो विधिवत प्रमाणित किया गया है, का अमान्य नही किया जा सकता है।

11. साक्षी सुभाष कुमार गर्ग (प सा 7) ने भी राजासिह से चमडा जप्त होना जप्ती नामा प्र पी 2 बनाया जाना रसीद से बंदूक जप्त होना जप्तीनामा प्र पी 29 बनाया जाना और इन प्रदर्शो पर अपना हस्ता0 होना स्वीकारा है। इसने मुख्य परीक्षण मे यह भी कहा कि रसीद के बयान प्र पी 5 पर उसके हस्ता0 था और उसने शिकार के समय साथ होना बताया है। इस प्रकार यह साक्षी पक्षद्रोही हो गया है।और सूचक प्रश्न पूछे जाने पर कहा कि रसीद ने कहा था कि सभी लोगो ने अपनी अपनी बंदूक चर्ला तो शेर मर गया तथा कुल्हाडी एंव बका से उसका चमडा निकाला गया। पुनः लिए गए प्रतिपरीक्षण मे यह साक्षी ने कुल्हाडी और बका तथा बंदूक रसीद से जप्त होना कहा है। और यह भी कहा कि राजा सिंह के धान के पैरा से चमडा इसमे स्वंय निकाला। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा भी आरोपीगण के द्वारा शिकार किए जाने और उसमे सहायता पहुचाए जाने के तथ्य को अपने साक्ष्य से प्रमाणित किया है। जिसकी पुष्टि नासिर हुसैन (प सा 8) के द्वारा भी की गई है। जो कि थाना बडवारा का सहा0 उपनिरीक्षक है उसने भी कहा कि उसके सामने राजा सिंह की निशांदेही पर टाईगर का चमडा धान के पैरा के नीचे प्लास्टि की बोरी मे रखा हुआ जप्त हुआ था जिसका पंचनामा प्र प 1 के अ से अ भाग पर इसने अपना हस्ता0 स्वीकारा

10.4.15

राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

है।

12. रेंजर ए सिंद्दकी (प सा 9) ने भी अपने साक्ष्य मे यह कहा कि आरोपी राजा से शेर के चमडे की जप्ती करके जप्ती प्र पी 2 और पंचनामा प्र पी 1 बनाया गया था मौका नक्शा प्र पी 4 बनाया गया था तथा आरोपी राजा के बयान लिखा गया था जिसने अन्य लोगो के साथ मिलकर शेर का शिकार करना बताया था। विवेचक जितेन्द्र तिवारी के समरूप कथन करते हुए इसने आरोपी राजा के इकबालिया बयान प्र पी 3 को पुष्ट किया है और नजरी नक्शा प्र पी 10 को भी स्वंय के समक्ष बनाया जाना कहा। आरोपी रसीद के बयान प्र पी 5, आरोपी धन्नी के बयान प्र पी 6, आरोपी अमर के बयान प्र पी 7, आरोपी सीताराम के बयान प्र पी 8 और माधवसिंह के बयान प्र पी 9 पर भी इसने अपना हस्ता0 होना स्वीकारा है और इनके बयानो के लेखकर्ता जे एन तिवारी के समरूप कथन ही करते हुए इसने आरोपीगण के द्वार एकराय होकर शेर का शिकार करने की बात बताई है। इस प्रकार इसके कथनो से भी आरोपीगण के इकबालिया बयान प्रमाणित होते हुए प्रतीत होते हैं। इसने यह भी कहा कि उपरोक्त सभी आरोपीगणो ने अपने बयान मे शेर का शिकार करना और नाखून इत्यादि निकालना स्वीकारा था प्रतिपरीक्षण मे बचाव पक्ष के विरोधी सुझाावों के गलत बताया है इस प्रकार इनके कथनो से अभियोजन का मामला प्रमाणित होता हुआ प्रतीत होता है।

13. साक्षी सलीम खान (प सा 10) ने भी अपने मुख्य परीक्षण के द्वारा आरोपी राजा से चमडा की जप्ती होना स्वीकारते हुए पंचनामा प्र पी 1 और जप्ती प्र पी 2 अपना हस्ता0 होना स्वीकारा है जिसके कथन प्रतिपरीक्षण मे अखंडित रही है। विमल वंश मिश्रा (प सा 11) केवल इस्तगासा प्रस्तुत करने के साक्षी है इन्होने इस्तगासा प्र पी 20 प्रकरण मे प्रस्तुतकरना स्वीकारा है। जप्तशुदा चमडा टाईगर का था और उसकी मृत्यु गोली लगने से हुई थी इस तथ्य को पुष्ट करते हुए चिकित्सक डॉ0 बी के पांडे (प सा 12) ने यह कहा कि चमडा का परीक्षण करने वाले डॉ आर के वर्मा की लिखावट और हस्ता0 को वे पहचानते है क्योकि इन्होने उनके अधीन काम किया है। डॉ0 वर्मा द्वारा दी गई परीक्षण रिपोर्ट को देखकर इन्होने यह बताया कि प्रस्तुत चमडा वन्य प्राणी बाघ का था जो 210 से मी लंबा था 8 माह पुराना था, 4 गोली के निशान पाए गए थे और छाती मे 3 इंच का कटा हुआ घाव पाया गया था और डॉ वर्मा ने अपनी रिपोर्ट मे टाईगर की मृत्यु गोली से होना लिखा था जिनकी रिपोर्ट प्र पी 18 है और उसके ब से ब भाग पर उनके हस्ता0 है। इनके उपरोक्त कथन छोटे छोटे विरोधाभाषों को छोडकर प्रतिपरीक्षण मे अखंडित भी रहे है। इस प्रकार उपरोक्त

राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

चिकित्सक के द्वारा टाईगर की मृत्यु गोली लगने से होना पुष्ट और प्रमाणित किया गया है।

14. जब टाईगर का खाल जिस स्थान से जप्त हुआ है उसके बारे में साक्षीगणेश सिंह ठाकुर (प सा 5) जो पटवारी है ने अपने साक्ष्य मे कहा कि तहसीलदार के आदेश दि0 17.04.02 के पालन मे इन्होंने खसरा नंबर 131 का नक्शा प्र पी 26 तैयार किया था और मौके पर गया था जहां पर राजा सिंह का और उनके परिवार का कच्चा मकान बना हुआ पाया था और खसरा की प्रति प्रपी 27 दिया था । इनके उक्त कथन प्रतिपरीक्षण मे अखंडित रहे हैं, जो इस तथ्य को पुष्ट करता है कि जप्ती स्थल आरोपी राजा सिंह के आधिपत्य का ही मकान और आंगन था।

15 अपने पक्ष समर्थन मे परिवादी पक्ष के द्वारा एक न्यायदृष्टांत फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर विरूद्व अबूबकर 1990 एफ एल टी 22 प्रस्तुत किया गया जिसमें यह कहा गया है कि आरोपी की संस्वीकृति जो परिक्षेत्र अधिकारी से की गई हो तब तक संदिग्ध नही मानी जा सकती जब तक कि वह धारा 25 साक्ष्य अधिनियम मे लिखे हुए प्रतिबंधों से आघातित नही होता । इस प्रकरण में आरोपीगण की संस्वीकृति लेखक के द्वारा तथा साक्षीगण के द्वारा पूर्णतः प्रमाणित किया गया है वैसे कथन आरोपीगण को धमकी उत्प्रेरणा अथवा प्रलोभन देकर लिए गए हों इसका कोई प्रमाण इस प्रकरण में बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही है। इस प्रकार उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक मे भी आरोपीगण की संस्वीकृति प्रमाणित होता हुंआ प्रतीत होता है। तथा एक अन्य न्याय दृष्टांत सोमनाथ विरूद्व स्टेट ऑफ छत्तीसगढ 2015 पार्ट 1 एम पी जे आर सी जी 30 में पुलिस अधिकारियो को भी परिवाद प्रस्तुत करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसका वर्णन म0प्र0 शासन के नोटिफिकेशन क0 14–28–76–X –2–दिनांक 21.10.76 और धारा 55 की उपधारा (बी) में परिवाद प्रस्तुत करने हेतु राज्य सरकार किसी सक्षम पदाधिकारी को अधिकृत कर सकती है। और राज्य सरकार सक्षम पदाधिकारी के रूप में परिक्षेत्र अधिकारी को अधिकृत किया है और इस प्रकरण का परिवाद उन्हीं के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। जो विधि संगत है।

16. बचाव पक्ष की ओर से प्रस्तुत न्याय दृष्टांत रेखाचंद विरूद्व म0 प्र0 राज्य ए आई आर 2008 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर एम पी 773 प्रस्तुत किया गया। जिसमें यह कहा गया है कि केवल वन्य पशु की खाल कब्जे मे पाए जाने से यह उपधारणा नही की जा सकती कि उसने पशु का शिकार किया है। परंतु इस प्रकरण में मात्र आरोपी राजा के कब्जे से टाईगर की खाल ही जप्त नही

10.4.18

राकेश कुमार सिंह
अति. मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

हुए है बल्कि उसके द्वारा दिए गए बयान अपराधी और अन्य सह आरोपियों के बयान अपराधी को भी विधिवत प्रमाणित करके आरोपीगण के द्वारा शिकार करने और शिकार करने मे सहायता पहुंचाने के तथ्य को प्रमाणित किया गया है। अतः उपरोक्त नयायदृष्टांत से बचाव पक्ष को कोई लाभ मिलता हुआ प्रतीत नही होता है।

17. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से यह स्पष्ट है कि घटना दिनांक के 8 माह पूर्व आरोपीगण राजा सिंह और रसीदशाह ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर रक्सेहा बीट के कक्ष क्र0 315 में दाना बाबा के नाला के पास अनुसूची 1 मे वर्णित संरक्षित वन्य प्राणी टाईगर का शिकार बंदूक से मारकर किया था और उस समय मौके पर अन्य आरोपीगण भी उपस्थित थे और उपरोक्त आरोपीगणों को शिकार करने तथा शिकार के बाद मृत जानवर के नाखून खाल इत्यादि को निकालने मे सहायता पहुंचाए थे। अतः निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आरोपीगण राजा और रसीद के द्वारा संरक्षित वन्य प्रार्णी टाईगर का जो अनुसूची 1 का प्राणी है शिकार किया गया था और आरोपी राजा ने उसके चमडे को अवैध रूप से अपने आधिपत्य में रखे हुए पाया गया था तथा अन्य आरोपीगण शिकार के उक्त कार्य में आरोपीगण राजा और रसीद को मौके पर उपस्थित होकर तथा हांका इत्यादि लगाकर सहयोग प्रदान किये थे। अस्तु यह कहा जा सकता है कि परिवादी पक्ष आरोपी राजा और रसीद के विरूद्व वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39 के उल्लंघन के आरोप को जो धारा 51 में दण्डनीय है प्रमाणित करने मे पूर्णतः सफल रहा है और इन अपराधों को सुकर बनाने में सहायता देने का आरोपी जो धारा 52 मे वर्णित है को भी प्रमाणित करने मे अन्य आरोपीगण धन्नी, सीताराम, माधव और अमर सिंह के विरूद्व परिवादी पक्ष सफल रहा है। अतः आरोपीगण राजा और रसीद को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 51 के आरोप में तथा अनय आरोपीगण धन्नी, सीताराम, माधव और अमर सिंह को उक्त अधिनियम की धारा 51/52 के आरोप में सिद्वदोष ठहराया जाता है। और दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय को थोडी देर के लिए रोका जाता है।

(राकेश कुमार सिंह)
अति0मु0न्या0मजि0, कटनी

पुनश्च :–

18. दण्ड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। उन लोगो ने व्यक्त किया कि आरोपीगण की यह प्रथम दोषसिद्वि है अतः उन्हें परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जावे, परंतु वन्य प्राणी संरक्षण

अधिनियम मे 18 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नही दिए जाने का प्रावधान किया गया है और आरोपीगणों का कृत्य जंगल की जैव विविधता और लुप्त प्रायः वन्य प्राणियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की प्रकृति का है जिसमें उन लोगों को किसी प्रकार का कोई परिवीक्षा संबंधी लाभ का दिया जाना न्याय की दृष्टि में उचित नही है। अतः संपूर्ण तथ्यों पर विचार करने के उपरांत तथा अपराध की गंभीरता और अनुसूची–1 के जानवर के शिकार और उसके खाल को कब्जे में रखने के कारण आरोपीगण राजा और रसीद को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 9, 39 सहपठित धारा 51 के आरोप मे 3–3 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 10–10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। इसी प्रकार धारा 52 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार शिकार मे सहायता पहुंचाने वाले व्यक्ति भी मूल व्यक्ति की तरह ही दण्ड के भागी होते हैं। अतः विचारोपरांत अन्य आरोपीगण धन्नी, सीताराम, अमर सिंह और माधव मे से प्रत्येक को आरोपीगण राजा और रसीद के द्वारा किए गए शिकार में सहायता पहुचाने के लिए वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 52/51 के आरोप में 3–3 वर्ष के सश्रम कारावास से तथा 10–10 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है।

19. अर्थदण्ड की राशि अदा नही किए जाने की दशा में प्रत्येक आरोपीगण को दो–दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतवाया जावेगा तथा अर्थदण्ड की राशि अदा होने पर संपूर्ण राशि अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा में वन परिक्षेत्र को वन क्षेत्र विकास के लिए इस शर्त पर प्रदान किया जावे कि किए गए विकास का प्रतिवेदन वे 6 माह के अंदर न्यायालय मे प्रस्तुत करें।

20 प्रकरण मे आरोपीगण जांच एवं विचारण के दौरान जितनी अवधि अभिरक्षा मे बिताए हों उसे अधिरोपित दण्ड में सें समायोजित करके धारा 428 दं0प्र0सं0 के तहत सजा समायोजन प्रमाण पत्र बनाकर निर्णय से संलग्न किया जावे।

21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बंदूक, एक कुल्हाडी और एक बका को अपील अवधि पश्चात अपील न होने की दशा मे नष्ट किया जावे। तथा बाघ के चमडे को राजसात किया जाकर संबंधित वन मंडल अधिकारी के अभिरक्षा में अपील अवधि बाद अपील न होने की दशा में उचित व्ययन हेतु सौंपा जावे।

16.04.16

राकेश कुमार सिंह
अति.मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी
कटनी (म.प्र.)

22 तद द्वारा आरोपीगण को बंध पत्र के भार से तथा प्रतिभू को प्रतिभूति के भार से भार मुक्त किया जाता है।

खुले न्यायालय मे दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित

(राकेश कुमार सिंह)
अति0मु0न्यायि0मजि0 कटनी

मेरे निर्देशन में टंकित।

(राकेश कुमार सिंह)
अति0मु0न्यायि0मजि0 कटनी